

# 11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

E-Mail:- dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 4482

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, 05/03/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,  
पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।


संदर्भ:- आपका पत्र सं 1658/12-1 दिनांक 17.02.2024.  
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में चाही गयी 2बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार सादर प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं.	वन संरक्षक से चाही गयी सूचना	आख्या
1.	प्रभागीय वनाधिकारी स्थलीय निरीक्षण करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र देगे कि उक्त मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिहांकन व 25मी 0 की दूरी पर पिलरबन्दी की गई है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन कर पिलरबन्दी की गई है, का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-1)
2.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं 0 ६/11-43/2021-एफ 0सी 0 दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-	
A	In respect of linear projects the stipulated norms of 2% and 0.5 towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline date 08.06.2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.	उपरोक्त दिये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में वन्यजीवों प्रबन्ध एवं मृदा जल संरक्षण प्रबन्ध योजना संलग्न कर ऑनलाईन पार्ट 11 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-2)
B	The Provisions of wildlife Management plan or Soil Moisture Conservation plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited into the CAMPA account.	

अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- / दिनांकित।


प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

## प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक नव निर्माण का कार्य। (3.250 किमी.)


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के सम्पूर्ण संरेखण पर पिलरबन्दी कर दी गयी है।



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
कर्णप्रयाग




सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
कर्णप्रयाग



अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
कर्णप्रयाग

c/s



प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर

